OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

m
 m
 9893076404

Manish Kumar Pandey Joining Letter

कार्यालय सचिव जनमागीदारी समिति शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. अनूपपुर, दिनांक 23 11 21 onio 1199/0021 नामर्शनिनी स कुमार पालेग पिता / पति भी कार्या ने कुमार पालेग र प्रति. पता 0501. 07 शास्त्रील जिला समहाल विषय:-अतिथि विद्वानों को सत्र 2021-22 के लिए आमंत्रण। संदर्भः-- 1.उच्च शिक्षा विमाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.936/398/आउशि/शा-2/21 मोपाल दिनांक 30.06.2021 2.पत्र क्र.483 / 166 / आईटी / आउशि / 2021, मोपाल दिनांक 11.11.2021 विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विषय 2 सागर 2017-21 में व्याख्यान 312446 आमंत्रित किया जाता है। यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगाः-1. यह आमंत्रण सत्र 2021-22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी की पदस्थापना / नियुक्ति होने तक के लिए होगा। आपको महाविद्यालय में तीन दिवस के अंदर (कार्यालयीन समय) तक कार्यमार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। 3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यमार में 4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 के अनुसार लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जावेगा। 6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 8. आपको म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी। 9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। on (gra प्राचार्य?/संग्विवं जनमा. समिति साइ तुलसी अहीवि नेपपर Distt. Anuppur (अनूपपुर, दिनांक 93/11/21 y.m. / 1200 / 2021 1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा म.प्र.। प्रतिलिपि-2. कार्यालयीन प्रति। प्राचार्य / संचिवं जनभा. समिति शा. तुलसी महाविः अन्पिपुर Jutoise. Anuppur (M.F.) PRINCIPAL Govt. Tulsi College Anuppur Distt. Anuppur (M.P.)

Jaithari Road Anuppur, District- Anuppur, Madhya Pradesh, Pin Code:- 484224 www.gtcanuppur.ac.in